बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 13.8.26

संख्या–7/शक्ति प्र0–13–01/2025 सा0प्र0 15131/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल, **राज्य के एक वर्ष से अधिक के जन्म और मृत्यु की विलंबित घटनाओं (वैसी घटना, जिसके घटित होने की सूचना एक वर्ष बाद दी गयी हो)** का पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ–2 के सम्मुख स्तम्भ–7 में अंकित पदाधिकारियों की विवरणी के अनुसार दंडाधिकारी नियुक्त करते हैं तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की धारा–15 के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की प्रदत्त शक्ति का केवल स्तम्भ–5 में अंकित प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

अनुसूची

क्र0 स0	प्रखंड/ नगर निगम/ नगर परिषद्/ नगर पंचायत	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दंडाधिकारी	शक्ति प्रत्यायोजित पदाधिकरियों का पदनाम/ संख्या
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	राज्य के सभी प्रखंड	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–15	दिनांक 07.08.2026 के प्रभाव से आगामी एक वर्ष तक के लिए	एक वर्ष से अधिक के जन्म और मृत्यु के पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	प्रत्येक प्रखंड के केवल प्रखंड विकास पदाधिकारी
2	राज्य के सभी नगर निगम (पटना नगर निगम को छोड़कर)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–15	दिनांक 07.08.2026 के प्रभाव से आगामी एक वर्ष तक के लिए	एक वर्ष से अधिक के जन्म और मृत्यु के पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	प्रत्येक नगर निगम के मात्र 02 कार्यपालक पदाधिकारी
3	पटना नगर निगम के अंतर्गत सभी अंचल	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–15	दिनांक 07.08.2026 के प्रभाव से आगामी एक वर्ष तक के लिए	एक वर्ष से अधिक के जन्म और मृत्यु के पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	प्रत्येक अंचल के केवल कार्यपालक पदाधिकारी
4	राज्य के सभी नगर परिषद्	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–15	दिनांक 07.08.2026 के प्रभाव से आगामी एक वर्ष तक के लिए	एक वर्ष से अधिक के जन्म और मृत्यु के पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	प्रत्येक नगर परिषद् के केवल कार्यपालक पदाधिकारी
5	राज्य के सभी नगर पंचायत	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–15	दिनांक 07.08.2026 के प्रभाव से आगामी एक वर्ष तक के लिए	एक वर्ष से अधिक के जन्म और मृत्यु के पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	प्रत्येक नगर पंचायत के केवल कार्यपालक पदाधिकारी

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/08/26

(रजनीश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

G:\SEC-07\SHAKTI PRATYAYOJAN\NOTIFICATION.docx

ज्ञापांक–7/शक्ति प्र0–13–01/2025 सा0प्र0 15131 /पटना–15, दिनांक 19.8.26

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु दो प्रतियों में सी0डी0 के साथ प्रेषित।

19/08/26,
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/शक्ति प्र0–13–01/2025 सा0प्र0 15131 /पटना–15, दिनांक 19.8.26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, सभी प्रमंडल/सभी जिलाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि संबंधित पदाधिकारियों को सूचित कर दिया जाय।

19/08/26
सरकार के अपर सचिव।

G:\SEC-07\SHAKTI PRATYAYOJAN\NOTIFICATION.docx